



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 1985/फाल्गुन 10, 1906
No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 1985 P./ALGUNA 10, 1906

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिमूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1985

का आ. 174(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त
दक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम,
1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक साँ
छियासठवाँ संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये तुरत प्रवृत्त होंगे ।

ck
1.8.85

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक के नीचे "ख. विधायी विभाग" उपशीर्षक के नीचे प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. संविधान आदेश : संविधान (संशोधन) अधिनियमों को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचनाएं ।"

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/85-मंत्री.1

एल. आर. के. प्रसाद, संपूक्त मन्त्र]

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1985

S.O. 174(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixty-sixth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. LEGISLATIVE DEPARTMENT (VIDHAYEE VIBHAG)", for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Constitution Orders ; notifications for bringing into force Constitution (Amendment) Acts."

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[No. 74/2/1/85-Cab.]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.